न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 333 / 2018 / 75 (00333 / 2018 / 75)

1. सन्तरा पुत्री हजारी पत्नि बद्धी, जाति रेगर, निवासी डिंडवाडा हाल निवासी बलाईयों का मौहल्ला, ग्राम बुहारू, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजेन्द्र पुत्र कालूराम,
3. गुलाबचन्द पुत्र कालूराम,
   समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम डिंडवाडा हाल निवासी ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शैतान पुत्र तेजू,
2. हेमराज पुत्र तेजू,
3. सीता पुत्री तेजू,
4. तेजू पुत्र हीरा,
5. मनभर पत्नि कानाराम,
6. मनोहर पत्नि गोपाल,
7. नौरती देवी पत्नि शिवराज,
   समस्त जाति बैरवा, निवासी चुरली, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
8. हनुमान पुत्र हजारी,
9. काना पुत्र हजारी,
   जाति रेगर, निवासी ग्राम ग्राम डिंडवाडा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर।
10. उप पंजीयक, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
11. तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
12. मैसर्स सोमानी इकाबिल्ड प्रोडक्ट एल0एल0पी0 पंजीकृत कार्यालय 33—34 फर्स्ट फ्लोर, पार्वती विहार, भट्ट गेस्ट हाऊस के पास, जयपुर रोड़, मदनगंज—किशनगढ़, जरिये साझेदार वेदांग कुमार पुत्र कुमुदचन्द्र व्यास, जाति ब्राह्मण, निवासी बी—49, शुभलक्ष्मी सोसायटी, राधास्वामी सोसायटी के पीछे, हरनी वारसिया रिंग रोड़ बड़ोदरा— 390006 (गुजरात)

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 3.5.2012.

उपस्थितः—

1. श्री उमेश कुमार एवं श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2021

1. यह अपील विद्वान विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 3.5.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. अपीलांटस के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 198 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा है जिसके अपीलांटस के पिता/पूर्वाधिकारी/मूल खातेदारी (हजारी पुत्र मोती) थे । हजारी पुत्र मोती के 5 वारिसान थे परन्तु उनमें से केवल 3 वारिसान के नाम विरासत नामांतकरण अधिकार अभिलेख में इंद्राज हुआ था, जबकि उक्त नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विपरीत पारित किया गया था, जबकि वास्तविक रूप से मृतक खातेदार के 5 विधिक वारिसान है जिसमें रेस्पो0 संख्या 8 एवं 9 एवं अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 2 व 3 की माता सम्पति देवी भी हजारी पुत्र मोती की हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 5 के तहत विधिक उत्तराधिकारी/वारिसान है परन्तु रेस्पो0 संख्या 8 व 9 द्वारा गुप—चुप में राज्य कर्मचारियों से सांठ—गांठ कर गलत पारिवारिक सजरा पेश कर अपने नाम नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 12.6.1993 को खुलवा लिया जबकि अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 2 व 3 की माता सम्पति देवी के पक्ष में भी नामांतकरण खोला जाना आवश्यक था । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 8 व 9 द्वारा उपरोक्त भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष विवादित भूमि के संपरिवर्तन बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 3.5.2012 द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 198 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से क्षेत्रफल 27113.89 वर्गमीटर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस संपरविर्तन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र बाबत् अधी0न्याया0 के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति के सहित यह अपील पेश की है ।

3. प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 198 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है । विवादित आराजी अपीलांटस की पैतृक आराजी होकर संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है । विवादित आराजी के खातेदार अपीलांटस के पिता/पूर्वाधिकारी/मूल खातेदार (हजारी पुत्र मोती) थे । हजारी पुत्र मोती के 5 वारिसान थे परन्तु इनमें से केवल 3 वारिसान के नाम विरासत नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 12.6.1993 अधिकार अभिलेख में दर्ज हुआ था । उक्त नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के विपरीत दर्ज हुआ था, जबकि वास्तविक रूप से मृतक खातेदार के 5 विधिक वारिसान है जिसमें रेस्पो0 संख्या 8 व 9 एवं अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 2 व 3 की माता सम्पति देवी भी हजारी पुत्र मोती की हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत विधिक अधिकारी/वारिसान है परन्तु रेस्पो0 संख्या 8 व 9 ने गुप—चुप राज्य कर्मचारियों से सांठ—गांठ कर गलत पारिवारिक सजरा पेश कर अपने नाम नामांतकरण संख्या 137

दिनांक 12.6.1993 को खुलवा लिया जबकि अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 2 व 3 की माता सम्पति देवी के पक्ष में भी विरासत नामांतकरण खोला जाना आवश्यक था । उक्त गलत नामांतकरण के आधार पर रेस्पो0 संख्या 8 व 9 ने विवादित भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान कर दी तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने विवादित भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.5.2012 को विवादित भूमि खसरा नंबर 198 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से क्षेत्रफल 27113.89 वर्गमीटर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के आदेश पारित किये जबकि रेस्पो0 संख्या 8 व 9 को संपूर्ण विवादित भूमि विक्रय किये जाने का अधिकार नहीं था । अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । इस कारण अपीलांटस अधी0न्याया0 के संपरिवर्तन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश दिनांक 3.5.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद पर बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2012 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23.10.2018 को तब हुई जब अपीलांटस अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे थ परन्तु दिनांक 23.10. 2018 को उक्त भूमि पर कच्चा–पक्का निर्माण शुरू कर दिया तब रेस्पो0 संख्या 8 व 9 द्वारा झूंठा आश्वासन देकर कहा की अपनी आराजी में निर्माण नहीं है तब अपीलांटस द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.10.2018 को प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से दिनांक 25.10.2018 को संपर्क करके संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करने पर अवगत हुआ कि उक्त आराजी का पूर्व में बैचान किया जाकर अपीलाधीन आदेश हो चुका है । अपील जानकारी से अंदर अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है । अपीलांट संख्या 1 ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है इस कारण उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांटस के भाई/मामा जो रेस्पो0 संख्या 8 व 9 है के द्वारा जालसाजी पूर्वक कथन किये जाने से भी आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 12 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस ने वास्तविक तथ्यों को लोप कर दुभावनापूर्वक आशय से विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 3.5.2012 के विरूद्ध यह अपील पेश की है । अपीलांटस का अपील का मुख्य आधार यह है कि ग्राम बड़गांव की खसरा संख्या 198 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार हजारी पुत्र मोती थे एवं अपीलांट संख्या 1 उनकी पुत्री है एवं अपीलांट संख्या 2 व 3 उनके दोहिते–दोहिती है । हजारी के देहावसान पश्चात् उपरोक्त भूमि के बाबत् दिनांक 12.6.1993 को विरासत का नामांतकरण संख्या 137 दर्ज करवाकर अपीलांटस की माता/नानी एवं भाई/मामा ने उपरोक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 को विक्रय कर दी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 ने उपरोक्त भूमि के बाबत् दिनांक 3. 5.2012 को संपरिवर्तत करवाया है । अपीलांटस ने अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है तथा रेस्पो0 संख्या 8 व 9 से कुसंयोजन कर यह अपील पेश की है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 द्वारा विवादित भूमि को दिनांक 27.9.2012 के पंजीकृत विक्रय विलेख से मैसर्स नेचुरा

इन्फ्रा हाईट प्रा0लि0, गीता विला, माया मन्दिर मल्टिप्लेक्स के पास, जयपुर रोड़, अजमेर जिला अजमेर को विक्रय कर दी थी । यह विक्रय विलेख उप पंजीयक, किशनगढ़ के कार्यालय में दिनांक 27.9.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिन्द संख्या 616 पृष्ठ संख्या 148 क्रम संख्या 2012006600 पर पंजीबद्ध किया गया है । उपरोक्त मैसर्स नेचुरा इन्फ्रा हाईट प्रा0लि0 द्वारा उपरोक्त भूमि में से 13556.94 वर्गमीटर अर्थात् 16213.97 वर्गगज प्रार्थी इकाई को दिनांक 26.4.2016 के पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान कर दी है । प्रार्थी इकाई ने उपरोक्त दिनांक 26.4.2016 को भूखण्ड क्रय करने के पश्चात् उस पर दिनांक 14.7.2016 को विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर संबंधित लोक कार्योलयों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर स्वंय के सूखा–मिश्रण उद्योग की स्थापना के लिय वित्तीय संस्था स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जयपुर (साउथ) में बंधक रखकर ऋण भी प्राप्त किया है । बहस में आगे कथन किया कि धारा 96 जा0दी0 के व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अध्याय 7 के अधीन आते है एवं उपरोक्त अध्याय मूल आज्ञाप्तियों के विरूद्ध अपील संस्थन के अधिकार को प्रावधित करता है । जबकि उपरोक्त अपील किसी आज्ञाप्ति के विरूद्ध नहीं है । अतः इस परिपेक्ष्य में प्रथमदृष्टया ही उपरोक्त अपील संधारण योग्य नहीं है । S. 96- Appeal from original decrees. (1) Save where otherwise expressly provided in the body of this Code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any Court exercising original jurisdiction to the Court authorized to hear appeal from the decisions fo such Court. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के विधिक पहलू को बिना प्रभावित किये तत्यात्मक परिपेक्ष्य में यह निवेदन है कि दिनांक 3.5.2012 को अपीलाधीन पारित आदेश के अनुक्रम में यह अपील धारा 96 जा0दी0 के अधीन भी अवधारणजन्य नहीं रहती है क्योंकि दिनांक 3.5.2012 का आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के पक्ष में जारी किया गया था एवं अपीलांटस का प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 से कोई संबंध नहीं है एवं उपरोक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के पक्ष में जारी हुआ है । इस कारण भी अपीलांटस को आदेश दिनांक 3.5.2012 को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होकर, संपरिवर्तन आदेश 6 वर्ष अधिक पुराना हो चुका है । प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 ने उपरोक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाकर दिनांक 27.9.2012 को उपरोक्त भूमि मैसस नुचुरा इन्फ्रा हाईट्स को विक्रय की थी एवं नेचुरा इन्फ्रा द्वारा उपरोक्त भूमि में से 13556.94 वर्गमीटर भूमि रेस्पो0 संख्या 12 को दिनांक 26.4.2016 को जरिये पंजीबद्ध विलेख विक्रय की है । रेस्पो0 संख्या 12 ने उपरोक्त भूमि पर नियमानुसार संबंधित विभागो से अपील संस्थन से पूर्व ही अनुमति प्राप्त कर मौके पर सिविल वर्क पूर्ण कर चुका है एवं मशीनरी स्थापित कर चुके है । ग्राम पंचायत की अनुमति भी ली जा चुकी है । दिनांक 3.5.2012 का आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के पक्ष में किया गया है एवं अपीलांटस का प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत किसी प्रकार का कोई हित, अधिकार, संबंध नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाकर अपील इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 12 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 8 व 9 से कुसंयोजन कर दुर्भावयुक्त अपील पेश की है । अपीलांट को यह

पहलू भली–भांति संज्ञान में रहा था कि उपरोक्त भूमि की विरासत का नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 12.6.1993 को प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 के नाम दर्ज किया गया है एवं प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 द्वारा उपरोक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 को विक्रय की की गई है एवं तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा उपरोक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाकर वर्णित विक्रय विलेख दिनांक 27.9.2012 सहित दिनांक 26.4.2016 का भी उन्हें संज्ञान रहा है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब को क्षम्य किये जाने का कोई समुचित, युक्तियुक्त, सद्भाविक कारण न उल्लेखित नहीं किये है । अपीलांटस ने भारी मियाद बाहर यह अपील पेश की है । दीर्घावधि का विलंब क्षम्य किया जाना किसी भी रूप से अनुज्ञात नहीं है । विशेषतः ऐसी स्थिति में जब अप्रार्थी की क्रयशुदा सम्पति के बाबत् स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, जयपुर द्वारा आम सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उपरोक्त सम्पति को बन्धक रखकर ऋण अनुज्ञात किया है । मौके पर अपील संस्थन से पूर्व सिविल कार्य पूर्ण कर उपरोक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिकांश मशीनरी स्थापित कर, उपरोक्त उद्योग लगभग चालू स्थिति में आ चुका है । इसके बावजूद अपीलांटस ने उपरोक्त तथ्य छिपाकर भूमि को रिक्त स्वंय के आधिपत्य की बताते हुए विलंब क्षम्य किये जाने का अनुतोष चाहा है जो अपीलांटस की सद्भाविकता पूर्ण कृत्यों को उजागर करता है । प्रथमदृष्टया ही न्यायालय के समक्ष आवश्यक तथ्यों को लोप कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है । अपीलांटस का यह कथन भी अस्वीकार है कि दिनांक 23.10.2018 को अपीलांटस उपरोक्त भूमि पर काश्त करते हो, यह भी अस्वीकार है कि दिनांक 23.10.2018 को मूल अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा कच्चा–पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा हो । यह भी अस्वीकार है कि दिनांक 24.10.2018 को या 25.10.2018 को अपीलांट को प्रथम बार इस पहलू का संज्ञान हुआ हो कि उपरोक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया है । अपीलांटस ने माननीय न्यायालय में स्वंय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत कथन किये है जो वास्तविकता एवं सत्यता से परे है । अपीलांटस को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 8 व 9 के साथ कुसंयोजन कर भारी विलंब से यह अपील पेश की है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाकर अपील मियाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ स्थित वर्तमान खसरा नंबर 198 रकबा 16–15–00 बीघा भूमि अपीलांटस के पूर्वाधिकारी हजारी पुत्र मोती की थी जिनके 5 वारिसान थे, परन्तु केवल तीन वारिसान के नाम ही नामांतकरण अभिलेख में दर्ज किया गया है जबकि अपीलांटस भी अपीलाधीन भूमि में हकदार व हिस्सेदार है । इसलिये अधीनस्थ प्राधिकारी के आदेश से पीड़ित होने के कारण अपीलांटस को अपील का अधिकार है । रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि वर्तमान जमाबंदी में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज थी, विहित प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण तथ्यों की जांच कर व जांच रिपोर्ट प्राप्त कर संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये । तत्पश्चात् भूमि विक्रय कर दी गई । तत्पश्चात् क्रेता द्वारा पुनः रेस्पो0 संख्या 12 को विक्रय कर दी । रेस्पो0 संख्या 12 द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त कर मशीनरी स्थापित की गई जा चुकी है। अपीलांट राजस्व

अभिलेख में खातेदार दर्ज नहीं है । जब तक अपीलांट हक, खातेदारी की घोषणा प्राप्त नहीं कर लेते है तब तक अपीलांटस को अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जावे ।

9. हाजा न्यायालय द्वारा वर्तमान जमाबंदी 2068 से 2071 के खाता संख्या 8 के खसरा नंबर 198 के खातेदार अमरीदेवी पत्नि तेजू, मनभर देवी पत्नि कानाराम, मनोहर देवी पत्नि गोपाल, नौरती देवी पत्नि शिवराम कौम बैरवा साकिन चुरली बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है तथा नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 20.3.2012 से अमरी देवी के स्थान पर शैतान, हेमराज पि0 तेजू, सीता पुत्री तेजू, तेजू पुत्र हीरा हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया है । नामांतकरण संख्य 786 दिनांक 25.5.2012 द्वारा अपीलाधीन भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज किया गया जिसमें खुला क्षेत्र 1–13–00 रखने का अंकन है । अपीलांटस उक्त जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है । किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांटस को खसरा नंबर 198 का खातेदार घोषित किया हो, कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है । अधीनस्थ अधिकारी विहित प्राधिकारी द्वारा विधिक तौर से कृषि से अकृषि (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन आदेश औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियमों के अधीन जो भी जांच रिपोर्ट व रिकार्ड रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है, प्राप्त कर नियमानुसार विधिक तौर पर आदेश पारित किया है । इस आदेश में विहित प्राधिकारी द्वारा कोई अनियमितता या गेर कानूनी कार्य किया गया हो अथवा आदेश में कोई त्रुटि हो, ऐसा कोई भी तर्क वकील अपीलांटस द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की गई है। जहां तक भूमि पुश्तैनी होने का प्रश्न है इस विधिक प्रश्न को कृषि से अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करते समय विहित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का नहीं है । अपीलांटस जब तक सक्षम न्यायालय से अपने हक व अधिकार अपीलाधीन भूमि में घोषित नही करवा ले तब तक उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2012 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

10. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर